भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न 2326
मंगलवार, 10 दिसंबर, 2024/19अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

ओडिशा में बीबीएसएसएल:

†2326. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः**

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार का ओडिशा पर भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) के प्रभाव के संदर्भ में इसकी स्थापना के पीछे लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;
(ख) ओडिशा में बीबीएसएसएल द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता का संवर्धन करने में दिए जाने वाले योगदान का ब्यौरा क्या है; और
(ग) ओडिशा में किसानों के हित और कृषि विकास के लिए बीबीएसएसएल के लाभ का उपयोग करने की क्या योजनाएं हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क): सहकारिता मंत्रालय ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) की स्थापना की है । BBSSL को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (IFFCO), कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (KRIBHCO), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी संघ मर्यादित (NAFED), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) द्वारा प्रवर्तित किया गया है । BBSSL की आरंभिक प्रदत्त पूंजी 250 करोड़ रुपये है जिसमें पांचों प्रवर्तक, प्रत्येक द्वारा 50 करोड़ रुपये का अंशदान किया गया है और इसकी अधिकृत शेयर पूंजी 500 करोड़ रुपये है । फसल उपज में सुधार और स्वदेशी प्राकृतिक बीजों के संरक्षण और संवर्धन प्रणाली को विकसित करने के लिए BBSSL की स्थापना सहकारी नेटवर्क के माध्यम से एकल ब्रांड के तहत उन्नत बीजों के उत्पादन, प्रापण और वितरण कार्य के लिए की गई है । BBSSL सहकारी समितियों के माध्यम से भारत में उन्नत बीजों के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करेगा जिससे आयातित बीजों पर निर्भरता घटेगी, कृषि उत्पादन बढ़ेगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्राप्त होगी, "मेक इन इंडिया" को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत की ओर देश अग्रसर होगा ।

यह समिति भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं और नीतियों का लाभ उठाकर PACS के माध्यम से बुनियादी और प्रमाणित, दोनों पीढ़ियों के बीजों के उत्पादन, परीक्षण, प्रमाणन, प्रापण, प्रसंस्करण, भंडारण, ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग पर ध्यान केंद्रित करेगी । यह सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल के माध्यम से "सहकार से समृद्धि" के लक्ष्य की प्राप्ति में भी सहायक होगा जहां उन्नत बीजों के उत्पादन द्वारा बेहतर कीमतों की प्राप्ति और उच्च उपज किस्म (HYV) बीजों के उपयोग द्वारा फसलों के उत्पादन में

वृद्धि, दोनों से सदस्यों को लाभ होने के साथ समिति द्वारा उत्पन्न अधिशेष से संवितरित लाभांश से भी वे लाभान्वित होंगे।

BBSSL द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार अब तक 14,816 सहकारी समितियों को सदस्यता प्रदान की गई है जिनमें से 190 सहकारी समितियां ओडिशा से हैं ।

(ख): BBSSL निम्नलिखित कार्यकलापों के माध्यम से ओडिशा राज्य सहित देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में योगदान करने का प्रयास करता है:

● सहकारी समितियों और सहकारी क्षेत्र के किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के नेटवर्क के माध्यम से बीज उत्पादन अवसंरचना के सशक्तीकरण द्वारा उन्नत बीजों की उपलब्धता करा कर कृषि उत्पादन में स्वावलंबन को बढ़ावा देना ।

● पारंपरिक बीजों के संरक्षण पर अनुसंधान और संवर्धन के साथ उन्नत किस्मों के विकास और प्रवर्धन के लिए एक प्रणाली का विकास ।

● छोटे और सीमांत किसानों को उन्नत बीजों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना और इससे जुड़े लाभ प्रदान करना ।

(ग): BBSSL के लाभ के उपयोग की योजना इसकी उपविधियों के खंड 54 और 55 में उपबंधित की गई है जो इसके सदस्यों को 20% तक लाभांश के वितरण का उपबंध करती है । इसके अलावा, BBSSL मूल्य निर्धारण का प्रावधान करता है जिसमें नीचे दी गई योजना के अनुसार निवल अधिशेष के 50% तक के वितरण द्वारा सदस्यों को उत्पादों का अंतिम मूल्य प्रदान करने की परिकल्पना की गई है: -

i. उत्पाद (उत्पादों) के प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर सदस्य (सदस्यों) को अस्थायी रूप से उत्पाद (उत्पादों) का आरंभिक अनंतिम मूल्य दिया जा सकता है;

ii. निवल अधिशेष की गणना ऐसे उत्पाद (उत्पादों) के विक्रय पर समिति द्वारा किए गए सभी व्यय की कटौती के बाद विक्रय मूल्य और आरंभिक अनंतिम मूल्य के बीच अंतर के रूप में की जाएगी;

iii. समिति अपने सदस्य (सदस्यों) को उनके उत्पाद (उत्पादों) के लिए बोर्ड के लिए जाने वाले निर्णय पर निवल अधिशेष का 50% तक देने का प्रयास करेगी और सदस्य द्वारा सोर्सिंग किसानों को ऐसा लाभ आगे दिया जा सकता है ।

iv. सदस्य (सदस्यों) को देय उत्पाद (उत्पादों) के अंतिम मूल्य का निर्धारण बोर्ड द्वारा आरंभिक अनंतिम मूल्य और पूर्ववर्ती उप-खंड (iii) के अधीन भुगतान किए जाने के प्रस्तावित निवल अधिशेष के हिस्से के जोड़ पर आधारित होगा ।

v. आयकर के भुगतान के बाद निवल अधिशेष को खंड 55 के उपबंधों के अनुसार निपटान हेतु समिति द्वारा अपने पास रखा जाएगा ।

******